



396



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर ३५० प्र०१

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी R 717- I-17

श्री. च. ५२१ श्री. अ. त. व. को
द्वारा आज दि. २३-२-१७ को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

द्वारा प्रभाद पुत्र गुलाब सिंह,

निवासी - ग्राम पचपीपरा, लोदा जिला विदिशा

-- निगरानी कर्ता

बनाम

1- बलुभा पुत्र मोहन जाति आदिवार निवासी
ग्राम पचपीपरा, तहसील तयोदा जिला
विदिशा

2- रामबीर पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम पचपीपरा
तहसील तयोदा, जिला विदिशा

-- इस्पाडे-द्वारा

निगरानी अधीनमन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व
संहिता विरुद्ध आदेशादिनांक 20.02.2017 द्वारा
पारित न्यायालय तहसीलदार तयोदा, के प्रकरण क्रमांक
22 / ए-70 / 2015- 16 व उन्वान बलुभा बनाम रामबीर।

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार

प्रस्तुत है :-


1- यह कि, अतिरिक्त क्रमांक 1 द्वारा प्राथी के विरुद्ध म. प्र.
भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत विचारणा
न्यायालय के सहाय कार्यवाही समाप्त की गई है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-717-एक/17

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	